न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 25/2017 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा **– प्रार्थी**	**बनाम**	1. श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकन्द जी कोगटा विक्रेता/मालिक, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा राज. स्थाई पता – काबरा गली, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, भीलवाडा राज. **—विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 विपक्षी अनुपस्थित

दिनांक **21.06.2017**

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकन्द जी कोगटा, विक्रेता/मालिक, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर,, भीलवाडा (राज.) निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् सौंफ, जीरा, अजवाईन सामान इत्यादि का निर्माण कर विकय कर रहा था। मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु सौंफ ब्राण्ड – मुरली मनोहर (पॉलीथीन) पैक के 50 पैकेट रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर सौंफ ब्राण्ड – मुरली मनोहर Bacth No. 5 , Net Weight 1Kg Pkd 04/16, Best Befor 12 Month from the Date of Pkg. Mfg By मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा इत्यादि अंकित था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म v-ए में दी एवं रसीद ली। नियमानुसार सौंफ ब्राण्ड – मुरली

मनोहर (पॉलीथीन) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षी को फर्म का खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्रांक प्रस्तुत किया गया। पत्र के प्रति उत्तर में विक्रेता/मालिक द्वारा फर्म के खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। विपक्षी के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित पत्र एवं प्राप्त प्रतिउत्तर, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25/05/2016 को समय 04:30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा राज. पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया । इस समय दुकान पर खाद्य विकेता/मालिक की हैसियत श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकन्द जी कोगटा विकेता/मालिक, उम्र 30 वर्ष जाति कोगटा , निवासी– काबरा गली, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु सौंफ, जीरा, अजवाईन इत्यादि विक्रय कर रहा था। विकेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बने खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई। विकेता/मालिक द्वारा बताया गया कि खाद्य लाईसेंस बना हुआ है। किन्तु प्रति अभी उपलब्ध नहीं है । बाद में पेश करने बाबत् कहा गया।

मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर,, भीलवाडा (राज.) का विकेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु सौंफ ब्राण्ड – मुरली मनोहर (पॉलीथीन) पैक के 50 पैकेट रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्राण्ड –सौंफ मुरली मनोहर Bacth No. 5 ,Net Weight 1Kg Pkd 04/16, Best Befor 12 Month from the Date of Pkg. Mfg By मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा इत्यादि अंकित था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म v-ए में दी एवं रसीद प्राप्त की एवं मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे, उन्हें सरकारी गवाह बनने हेतु समझाया गया एवं सभी प्रकार के प्रयास किये गये, किन्तु सभी ने मना कर दिया। अन्त में श्री जगदीश पाराशर च.श्रे.क. को गवाह बनाया गया। मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Bacth No. 5 के 1–1 किलो के सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) के एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत वास्ते जाँच हेतु खरीदे एवं इस बाबत् 520/–रूपये अक्षरे पाँच सौ बीस रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–142 दर्ज कर विक्रेता,

गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–142 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया । नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकंद कोगटा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विकेता को, लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 142 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एलएस/365/Act/2016/415 दिनांक 08/06/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकंद कोगटा विकेता/मालिक मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा (राज.) द्वारा मिसब्राण्डेड सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 03.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 06.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.05.2017 को

कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी अनुपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) के लेबल पर बेस्ट बिफोर, अंकन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत नही किया गया है। नियम 2.2. 2(10), के अनुसार बेस्ट बिफोर एल्फाबेट के केपीटल अक्षरों में होना चाहिए। जबकि निर्माता फर्म द्वारा इसका अंकन एल्फाबेट के स्मॉल अक्षरों में किया गया है। इसलिए लिया गया नमूना सौंफ ब्राण्ड मुरली मनोहर मिसब्राण्डेड होना पाया गया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की हैं। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

पत्रावली मे विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढा गया। उक्त जवाब में विपक्षी के द्वारा अवगत कराया कि लिये गये खाद्य नमूना सौंफ ब्राण्ड मुरली मनोहर खाद्य प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट में मानक स्तर का पाया गया है एवं लेबल छपवाने मे मिसप्रिंटिंग की वजह से नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। उनके फर्म द्वारा गलती का सुधार कर नये लेबल प्रिन्ट करवा लिये गये है एवं गलती दुबारा नहीं करने हेतु आश्वस्त करते हुए कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली में बहस सुनी गयी । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एलएस/365 /Act/ 016/ 415 दिनांक 08/06/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) के लेबल पर बेस्ट बिफोर, अंकन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (पैकेजिग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के तहत नही किया गया है।** नियम 2.2.2(10), के अनुसार बेस्ट **बिफोर एल्फाबेट के केपीटल अक्षरों** में होना चाहिए। जबकि निर्माता फर्म द्वारा इसका अंकन एल्फाबेट के स्मॉल अक्षरों में किया गया है। **इसलिए** लिया गया नमूना सौंफ ब्राण्ड मुरली मनोहर मिसब्राण्डेड होना पाया गया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 धारा 52 मे निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकंद कोगटा विकेता/मालिक मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु – 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा (राज.) ने मिसब्राण्डेड सौंफ (ब्राण्ड मुरली मनोहर) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्डेड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/—रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0आर0गुर्जरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
5. श्री राहुल कोगटा पुत्र श्री बालमुकन्द जी कोगटा विक्रेता/मालिक,
मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग, डब्ल्यु — 61/2, आजाद नगर, भीलवाडा (राज.)
स्थाई पता — काबरा गली, लक्ष्मीनारायण मदिर के पास, भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा